उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2
संख्या-1055 /ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(205)-2021
लखनऊः दिनांकः 01 अक्टूबर, 2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017), की धारा 9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-1635/ग्यारह-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(69)-2017, दिनांक 02 नवम्बर, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 1 के समक्ष,-

(i) स्तम्भ (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नि: शुल्क वितरण के लिए आशयितऔर यूनिट अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां;

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या समान प्रकार की योजना में पूर्ति के लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)" रख दिया जायेंगा;

(ii) स्तम्भ (4) में, प्रविष्टि में, "खाद्य निर्मितियों" दोनो स्थानों पर जहाँ पर वे आएं, के स्थान पर शब्द "माल"रख दिये जायेंगे;

2. यह अधिसूचना तारीख 1 अक्टूबर, 2021 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव